प्रत्यक्ष स्टांप ड्यूटी लाभ

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की **वित्तीय क्षमता को सुदृढ़** करने के लिये **कुल** स्टांप शुल्क राजस्व **का 1% भाग आवंटित** करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

- **स्टांप ड्यूटी के बारे में:**
  - स्टांप शुल्क **भारत में राज्य सरकारों द्वारा** संपत्ति के लेन-देन पर लगाया जाने वाला कर है, जो **भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899** द्वारा शासित होता है।
  - स्टांप शुल्क की दरें राज्य के अनुसार अलग-अलग होती हैं और यह कानूनी दस्तावेज़ों तथा संपत्ति स्वामित्व के पंजीकरण प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग है।
- **पंचायती राज संस्था (PRI):**
  - 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)** को **संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया, जिससे पूरे देश में एक समान **त्रिस्तरीय संरचना** लागू हुई।
  - इसने नियमित चुनाव, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और **महिलाओं** के लिये **सीटों का आरक्षण** अनिवार्य कर दिया तथा ज़मीनी स्तर पर शासन को मज़बूत करने के लिये धन, कार्यों और पदाधिकारियों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया।
    - अधिकांश राज्यों में **पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना** अपनाई जाती है— **ग्रामसभा** (गाँव या छोटे गाँवों का समूह), **पंचायत समिति** (खंड परिषद) तथा **ज़िला परिषद** (ज़िला स्तर पर)।
  - भारत के संविधान का **अनुच्छेद 243G** राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को स्व-सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिये संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 243H** राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को **कर, शुल्क तथा टोल** लगाने, एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति देने का अधिकार देता है।
  - **अनुच्छेद 280(3)(bb)** के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की सलाह के आधार पर पंचायतों के लिये **पूरक निधि आवंटन** की सिफारिश करनी होती है।
  - **अनुच्छेद 243-I** के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा **कर वितरण, संसाधन सुधार और अन्य संबंधित वित्तीय मामलों** पर सुझाव देने के लिये प्रत्येक 5 वर्ष में एक **राज्य वित्त आयोग** का गठन अनिवार्य है।
  - **पंचायती राज मंत्रालय**, पंचायती राज तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसकी स्थापना **मई 2004** में की गई थी।
- **PRIs की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास:**
  - राज्य सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य **ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है,** जिससे उन्हें स्थानीय विकास कार्यों की योजना बनाने और क्रियान्वयन में अधिक स्वायत्तता मिल सके।
  - इस योजना के तहत सरकार पंचायती राज संस्थाओं को 572 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की योजना बना रही है।
- **राजस्व वितरण संरचना:**
  - सरकार कुल स्टांप ड्यूटी राजस्व का 1% पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करेगी, जो निम्नानुसार वितरित किया जाएगा:
    - 0.5% ग्राम पंचायतों को
    - 0.25% पंचायत समितियों को
    - 0.25% ज़िला परिषदों को
- **पंचायतों को सशक्त बनाने के लिये पूर्व में उठाए गए कदम:**
  - सरकार पहले ही **अंतर-ज़िला परिषदों** की स्थापना कर चुकी है तथा **पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से निधियों के हस्तांतरण** की व्यवस्था लागू कर चुकी है।
  - इन उपायों के माध्यम से PRIs को **विभागीय कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने** की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे **स्थानीय शासन व्यवस्था** और अधिक प्रभावी बनती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/direct-stamp-duty-benefits